बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 106 / 2019-467

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0,
दरभंगा।

पटना 14, दिनांक– 01/06/2022

विषय – दरभंगा जिलान्तर्गत दोनार गुमती–टिनही पुल तक प्रस्तावित नाले के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 14.85 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/40624/2019/3971 दिनांक 25.05.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 449 दिनांक 28.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/40624/2019/3971 दिनांक 25.05.2020 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें 1–13 शर्त्तें अधिरोपित है। तद्आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 449 दिनांक 28.05.2020 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद में राशि जमा करने तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

2. आपके कार्यालय पत्रांक 95 दिनांक 08.04.2022, द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद में (क्रमशः रूपये 49,13,383.00+92,96,100.00) = रू० 1,42,09,483 / – (रूपये एक करोड़ बियालीस लाख नौ हजार चार सौ तिरासी) मात्र कैम्पा लेखा में जमा कराते हुए कार्यादेश की मांग की गयी है।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 5-3/2011-FC (Vol-I), दिनांक 06.01.2022 द्वारा NPV दर को संशोधित किया गया है। संशोधित दर के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 14.85 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये NPV की राशि रूपये 9,57,780 / – मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 1,42,23,033 / – (रूपये एक करोड़ बियालीस लाख तैईस हजार तैतीस) मात्र होता है। आपके द्वारा NPV मद में कुल रू० 92,96,100 / – (रूपये बानवें लाख छियानवें हजास एक सौ) मात्र कैम्पा लेखा में जमा किया गया है, जिसका आकलन पूर्व निर्धारित दर रूपये 6,26,000 / – मात्र प्रति हेक्टेयर की दर पर किया गया था।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 5-3/2011-FC (Vol-I), दिनांक 06.01.2022 के आलोक में NPV मद में अन्तर की राशि (रूपये 1,42,23,033–92,96,100) = **रूपये 4926933.00 मात्र होता है।**

5. इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में मांग की राशि का आकलन रू० 287 प्रति मानव दिवस के आधार पर किया गया था। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रू0 318 प्रति मानव दिवस किया गया है।

6. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के शर्त्त संख्या (2) (b) के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी दर (रू0 318 प्रति मानव दिवस) पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 54,44,100/– (रूपये चौवन लाख चौवालीस हजार एक सौ) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

7. इसी प्रकार क्षतिपूरक वनरोपण मद में 287 प्रति मानव दिवस के आधार पर जमा की गयी राशि रू० 49,13,383/– मात्र एवं वर्त्तमान मजदूरी दर (रू0 318 प्रति मानव दिवस) पर क्षतिपूरक वनीकरण मद के लिये आकलित राशि रू० 54,44,100/– मात्र के आधार पर अन्तर की राशि (रूपये 54,44,100–49,13,383) = **रूपये 5,30,717.00 मात्र होता है।**

8. उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 318/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

9. **उपर्युक्त NPV एवं क्षतिपूरक मद में अन्तर की कुल राशि रू० 54,57,650/– (रूपये चौवन लाख सनतावन हजार छः सौ पचास) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जाय।**

10. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

11. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में अधिरोपित 1–13 शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति की कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय के स्तर से कार्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./106/2019-467 दिनांक– 01/06/2022

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।